

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.3(ख)(1)अलेसे-11/ 2000

दिनांक 04.12.2017

आदेश संख्या: SP4/2017-18

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकार कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

| क्र.सं. | लिंक नम्बर | नाम             | वर्तमान विभाग                        | नवीन पदस्थापन                   |
|---------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | 2226       | रामेश्वर खोकर   | जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक         | कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बूंदी |
| 2       | 4195       | कन्हैया लाल जैन | जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), टोंक | जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक    |

उक्त कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल नवीन पदस्थापन कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रदान कर इस निदेशालय को सूचित करे।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक:- एफ.3(ख)(1)अलेसे-11/ 2000

दिनांक 04.12.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बूंदी
4. संबंधित कार्मिक
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)